# हरियाणा की नई आबकारी नीति

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में **हरियाणा कैबिनेट** ने निर्वाचन आयोग से मंज़ूरी मिलने के बाद **वर्ष 2024-25** के लिये एक **नई आबकारी नीति को अपनी मंज़ूरी** दे दी।

## मुख्य बिंदु:

- 12 जून से शुरू होने वाली नई नीति में **इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL)** और **देशी शराब** पर **एक्साइज़/आबकारी शुल्क** में मामूली बढ़ोतरी होगी।
- **मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी** की अध्यक्षता में यहाँ कैबिनेट की बैठक हुई।
- **वर्ष 2024-25** के लिये **IMFL** का अधिकतम बेसिक कोटा **700 लाख प्रूफ लीटर** (माप इकाई) और देशी शराब के लिये **1,200 लाख प्रूफ लीटर** होगा।
- IMFL और देशी शराब के लिये वर्ष 2023-24 में शुरू की गई **QR कोड-आधारित ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली** का विस्तार आयातित विदेशी शराब तक भी किया जाएगा।
- नई नीति में रिटेल दुकानों की अधिकतम संख्या वही रहेगी। **ई-नीलामी** में भाग लेने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड **या परिवार पहचान-पत्र,** पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों के लिये आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा और उसकी न्यूनतम कुल संपत्ति **60 लाख रुपए** होनी चाहिये।
- चूँकि मौजूदा **लोकसभा चुनाव** के मद्देनज़र आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिये नीति पर निर्णय लेने से पूर्व निर्वाचन आयोग की मंज़ूरी ली गई थी।

## आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct)

- MCC एक **सर्वसम्मत दस्तावेज़** है। राजनीतिक दल स्वयं चुनाव के दौरान अपने आचरण को नियंत्रित रखने और संहिता के भीतर काम करने पर सहमत हुए हैं।
- यह चुनाव आयोग को संविधान के **अनुच्छेद 324 के तहत दिये गए जनादेश को ध्यान में रखते हुए मदद करता** है, जो उसे संसद और राज्य विधानमंडलों के लिये स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों की निगरानी एवं संचालन करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **MCC चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक लागू रहता** है।
- संहिता **लागू रहने के दौरान सरकार किसी वित्तीय अनुदान की घोषणा** नहीं कर सकती, सड़कों या अन्य सुविधाओं के निर्माण का वादा नहीं कर सकती और न ही सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में कोई तदर्थ नियुक्ति कर सकती है।

## आयकर रिटर्न

- **आयकर:** आयकर एक **वित्तीय वर्ष में अर्जित किसी व्यक्ति या व्यवसाय की वार्षिक आय** पर लगाया जाने वाला कर है।
  - भारत में आयकर प्रणाली आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होती है और यह एक प्रत्यक्ष कर है।
- **आयकर रिटर्न:** यह एक निर्दिष्ट दस्तावेज़ है जिसका **उपयोग किसी वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति की आय** और उस **आय पर भुगतान किये गए करों के विषय में आयकर विभाग को विवरण देने के लिये किया जाता है।**
  - इसके अतिरिक्त, यह फॉर्म लोगों को हुए नुकसान को दर्शाने तथा आयकर विभाग से रिफंड का दावा करने की सुविधा भी देता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-s-new-excise-policy